

कार्यवृत्त

गुरुवार, 01 फाल्गुन, शक संवत्, 1935

(दिनांक 20 फरवरी, 2014 ई0)

खण्ड-39
अंक-02

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष व अन्य माननीय सदस्य नियम-310 के अन्तर्गत बागवानी मिशन (हार्टिकल्चर मिशन फार नार्थ ईस्ट हिमालयन) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में काश्तकारों/उद्यान कर्मियों को आवंटित योजनायें उत्तराखण्ड सरकार के एक मंत्री के परिवार को लाभ पहुंचाने से प्रबुद्ध जनों में भारी आक्रोश व्याप्त होने सम्बन्धी सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर जोर-जोर से कहने लगे। जिस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इस विषय को नियम-58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

अपने-अपने स्थानों पर खड़े विपक्ष के सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया तथा अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहते रहे। इस पर श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 08 मिनट पर सदन का कार्य 11 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित किया।

11:45 बजे मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का समय 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

11:20 बजे मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का समय 12 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

12:45 पर श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के सभी सदस्य नियम-310 में दी गई सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहते हुए नारे बाजी करने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखें।

घोर व्यवधान के मध्य श्री जीतराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत स्थान सिमली में पॉलिटैक्निक शिक्षण संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री भरत सिंह रावत, निवासी-ग्राम कण्डारा, किमोली, जनपद-चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री जीतराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत स्थान सिमली में बेस हॉस्पिटल खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री महेश खण्डूड़ी, निवासी-सिमली रोड़, कर्णप्रयाग, जनपद-चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन मा0 सदस्य ने दिनांक 20 जनवरी, 2014 को श्री अध्यक्ष द्वारा वन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध तीन सप्ताह के अन्दर जांच आख्या प्रस्तुत किए जाने सम्बन्धी विनिश्चय की ओर ध्यान आकृष्ट किया, श्री अध्यक्ष ने पूर्व में दिए निर्देश के क्रम में एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही करने के निदेश सरकार को दिए।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 फरवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 20 फरवरी, 2014 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

गुरुवार, 20 फरवरी, 2014

विधायी कार्य -

1. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण ।(10 मिनट)
2. उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण ।(10 मिनट)
3. उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण । 20 मिनट)
4. उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण । (20 मिनट)

शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से माननीय सदस्य श्री मालचन्द, श्री चन्दन राम दास, श्री हरबन्स कपूर, श्री आदेश चौहान, श्री मदन कौशिक एवं श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री संजय गुप्ता को ग्राह्यता पर सुने जाने हेतु मा0 अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर कोई सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-12, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य नगर विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य नगर विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य नगर विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य नगर विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य 'पेयजल विभाग द्वारा वर्ष 2007 से वर्तमान तक जिन 9078 लोगों को टैकेदारी के आधार पर विभाग में विभिन्न कार्यों हेतु रखा गया है उनके मुख्य नियोक्ता की जानकारी विषयक दिनांक 13 फरवरी, 2014 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-12 के संबंध में' श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत चर्चा हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य अनुपस्थित थे।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी:-**

“इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।”

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि नियम- 105 के अन्तर्गत श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी:-**

“उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।”

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी:-**

“दिनांक 22.03.2013 से राज्य में उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली वर्ष 2013 लागू हो गयी है।

उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है विशेषकर सदूर पर्वतीय क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधा का लगभग अभाव है।

राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधा विशेषकर सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे राज्य के निवासियों को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, परन्तु इस नियमावली के प्रावधानों से चिकित्सा सुविधा का खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।

इस स्थिति में राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विकास जनहित में आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नियमावली पर ही आधारित होगी।

यह नियमावली केन्द्र सरकार के अधिनियम 2010 पर आधारित है। उत्तराखण्ड के विशेष भौगोलिक तथा अवस्थापना स्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित तथा परिवर्तित नहीं किया गया है।

इण्डियन मेडिकल ऐशोसिएशन U.A. state Branch ने इस नियमावली पर अपने सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, परन्तु अभी तक समस्या के निदान के लिये कार्यवाही नहीं हो सकी है।”

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी:-**

“जनपद देहरादून के पछवाडून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।”

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी:-**

“प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।”

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा के नियम-54 के अन्तर्गत प्राप्त निम्नलिखित सूचना के प्रस्तुतीकरण हेतु नाम पुकारा गया:-

“उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रही है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा “जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।”

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि उक्त सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी।**

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा श्री उमेश शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण हेतु नाम पुकारे जाने पर मा० सदस्य **अनुपस्थित** थे:-

“राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी है जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नहीं है, जिस पर उन्होने अपने रिहायशी मकान बनाये है। ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में है। ये बस्तियां नदियों के किनारें, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी है।

कुछ नगर निकायों में ऐसे बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नहीं की गयी है। इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुंचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है। इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी रिकल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।”

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी:-**

“जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005-25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्चात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है। पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005-2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है:-

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा,
5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लीगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत,
11. बिधौली, 12. मिस्सरस पट्टी, 13. मितरली, 14. मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर
- बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल
- ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है। मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गठन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है। अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना, जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं। महायोजना 2005-25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बन्धी।’

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत प्राप्त निम्नलिखित सूचना के प्रस्तुतीकरण हेतु नाम पुकारे जाने पर उनके द्वारा प्राधिकृत सदस्य श्री नव प्रभात, सदस्य विधान सभा द्वारा सूचना प्रस्तुत की गई:-

“उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने सम्बन्धी।”

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि उक्त सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी।**

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी:-**

“उत्तराखण्ड राज्य में **“ईको सेंसिटिव जोन”** को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जाये।”

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा श्री उमेश शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा हेतु नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य **अनुपस्थित** थे:-

“प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों हेतु संचालित राज्य की जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से जनहित में आवश्यक है कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की एक सम्पूर्ण सूची बनायी जाये तथा सभी विभागों को एक ही सूची मान्य करने सम्बन्धी।”

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 09 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से-

विधान सभा सल्ट के अन्तर्गत सदर क्वैरला, स्याल्दे व मछोड़ में आई0टी0आई0 भवनों के हस्तान्तरण एवं ट्रेड्स बढ़ाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, माननीय सदस्य की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया तथा,

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर में विभिन्न पेयजल नलकूपों पर जैनेटर्स की व्यवस्था करने के संबंध में श्री नवप्रभात, माननीय सदस्य की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

घोर व्यवधान के मध्य तहसील विकासनगर के अन्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभिन्न बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के पुनर्निर्माण के संबंध में श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, सिंचाई मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत विभिन्न गांवों में विद्युत तारों की जर्जर स्थिति से उत्पन्न खतरों के संबंध में श्री संजय गुप्ता, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य जनपद देहरादून के विकासनगर में विभिन्न पेयजल नलकूपों पर ओवर हैड टैंक बनाने के संबंध में श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, पेयजल मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य प्रदेश में बी0एड0, बी0पी0एड0 व योग प्रशिक्षितों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, शिक्षा मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम- 310 के अन्तर्गत एक सूचना आई है जो बैंक से ऋण लिये गये हैं उसके ऋण वसूली और ब्याज माफ के संबंध में हैं इसमें माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं इसको अस्वीकर करता हूँ।

घोर व्यवधान के मध्य श्री कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए अनुग्रह किया कि उत्तराखण्ड में पी0सी0सी0एफ0 का पद वन विभाग में रिक्त है, यह सबसे सीनियर अधिकारी का पद है। यह पद 31 जनवरी से रिक्त है, तीन सप्ताह हो चुके हैं इससे बहुत नुकसान हो रहा है, जिस पर तीन दिन के अन्दर डी0पी0सी0 तय करा दें तो उसमें अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही 01 बजकर 03 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।